

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

सुभाष

बनाम

पतराम

किस्म मुकदमा , 88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 191 सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख
08.03.2022	<p>वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29.04.2022 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. नोहर ...अम्ब... कामी... मे... च्याम्... है। पत्रावली दि. 29/04/22 को पेश हो।</p>	
23/04/22	<p><del>वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29.04.2022 को पेश हो।</del></p> <p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. नोहर ...अम्ब... कामी... मे... च्याम्... है। पत्रावली दि. 10/03/23 को पेश हो।</p>	
24/04/23	<p>वादी स्वयं उपस्थित। वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादी ने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि इस वर्ष भूमि पर राजीगमा हो चुका है जिस कारण वादी उक्त अज्ञान वाद में आगे कोई कामवाही करना नहीं चाहता है। अतः वादी वाद खारिज करवाते हैं। इससे वाद का अन्तर्लोकन किया। न्याय-हित में प्रार्थना-पत्र वादी स्वीकार किया जाता है अतः वादी व प्रतिवादीगण का राजीगमा होने के कारण वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर में कम होकर दायिल दफ्तर हो</p> <p>अदालत अज नोहर (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)</p>	सुभाष